

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

192 – रामगंजमण्डी (अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री मदन दिलावर

4-ई-7, रंगबाड़ी योजना , रंगबाड़ी रोड कोटा (राज.)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान -कोटा

दिनांक – 03-12-2023

(अनिल कुमार सिंघल )  
रिटनिंग अधिकारी  
विधानसभा रामगंजमण्डी -192 (अ.जा.)  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मण्डी  
192 – रामगंजमण्डी(अजा)

FORM 21 C

(See Rule 64)

*(For use in General Election when seat is Contested)*

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act,1951.**

Election of the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from **192- Ramganjmandi (SC)** Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act 1951,read with rule 64 of the Conduct of Election Rules,1961,

I declare that –


**Shri MADAN DILAWAR**

**4-E-7 Rangbari Yojana, Rangbari Road Kota (Raj.)**

sponsored by **Bharatiya Janata Party** (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - KOTA

Date - 03.12.2023

  
(Anil Kumar Singhal)  
Returning Officer  
विधानसभा रामगंजमण्डी - 192 (अ.जा.)  
उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी